कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकः स्था0/2024/3555 दिनांकः 02-07-2024

–:: विज्ञप्ति ::–

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प.10(31)न्याय/2018 दिनांक 29.05.2024 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए–4(i)(a)/160/23/494 दिनांक 06.06.2024 के क्रम में जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र के विशेष न्यायालयों में 10 वाहनों के संचालन (वाहन चालक) के लिये 10 सेवानिवृत्त कार्मिक (वाहन चालक) की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर सेवायें लेने हेतु इच्छुक 65 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सेवानिवृत्त वाहन चालकगण की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर दिनांक 31.03.2025 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाएं ली जानी है।

शर्ते :–

- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि कार्मिक विभाग के उक्तांकित परिपत्र दिनांक 28.03.2023 के संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार देय होगी।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
- कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ऐसे सेवानिवृत्त वाहन चालक, जिन्हें सेवा में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या उन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के लिये विचार नही किया जावेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक कर्मचारी इस कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर उक्त प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों पर वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक दिनांक 19.07.2024 को सांय 04:00 बजे तक व्यक्तिशः इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात् संलग्न किया जाना आवश्यक है –

1. **विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।**
2. **अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति।**
3. **पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति।**
4. **विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र।**

—sd/—

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकः स्था0/2024/3556-3562 दिनांकः 02-07-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश (समस्त)................................(राज.)
3. समस्त न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र................................
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
7. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

2/7/2024